राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(पंचायतीराज विभाग)

क्रमांक :– एफ. 17 ( ) (ई)परावि/प्र02/पु.नि./2010 /154 दिनांक : 28/1/11

आदेश

विषय :– सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग :–विभागीय आदेश क्रमांक प. 17 ई( )पंराविं/प्र–2/पुनर्नियोजित/2010/3554 दिनांक 28.10.10.

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेश के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों के अलग अलग संवर्गो के स्वीकृत पदों के विरूद्ध सेवा निवृत होने वाले अथवा पूर्व में सेवा निवृत कार्मियों को पुनर्नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देशो की निरन्तरता में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने वाले सेवा निवृत कर्मचारियों की सकिनिंग कार्यवाही हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. जिला कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि जो अति0 जिला कलेक्टर स्तर से कम न हो – अध्यक्ष
2. जिला परिषद का प्रतिनिधि – राजपत्रित अधिकारी – सदस्य
3. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव

उक्त कर्मचारियों की सेवा निवृति पर पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. हस्तान्तरित 5 विभागो के सेवानिवृत कर्मचारियों को संविदा पर पुनर्नियोजन हेतु संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा पदों के बारे में नियुक्ति हेतु सर्वाजनिक विज्ञप्ति राज्य/स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से प्रसारित की जावेगी (प्रारूप संलग्न–परिशिष्ठ "A")। प्राप्त आवेदन पत्रो की उक्त समिति द्वारा संवीक्षा करने के बाद ही पात्र अभ्यार्थियो को संविदा पर पुनर्नियोजन किया जावेगा।
2. रिक्त पदों के विरूद्ध पुनर्नियोजित होने वाले कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, उस पद के समान होना आवश्यक है, जिस पद पर पुनर्नियुक्ति दी जा रही है।
3. उक्त समिति द्वारा पुनर्नियोजन सेवानिवृत कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने या दो वर्ष की अवधि (जो भी पहले हो) तक ही किया जा सकेगा। संविदा पर पुनर्नियोजन पद विशेष के लिए स्थानान्तरण/पदोन्नति/सीधी भर्ती आदि के माध्यम से, उक्त रिक्त पद भरे जाने तक ही प्रभावशील रहेगा।
4. ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी जो अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य कारणों से प्रोवीजनल पेंशन प्राप्त कर रहे है, वे पंचायतीराज संस्थाओं अथवा हस्तान्तरित विभागो में उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर पुनर्नियोजन के पात्र नही होगें।
5. उक्त सेवानिवृत कर्मचारियों के संविदा पर पुनः नियोजन के समय कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित मेमोरन्डम क्रमांक एफ 17 (10)डीओपी/क–2/94 दि0 31.10.95 के साथ संलग्न प्रारूप बंधक पत्र (Under Taking) व समझौता पत्र (Agreement) प्राप्त किया जावेगा, जिसमें यह तथ्य अंकित किया जावेगा कि उक्त कार्मिक द्वारा नियत अवधि में कार्य सम्पादन के दौरान पंचायतीराज संस्था अथवा राज्य सरकार को कारित आर्थिक क्षति की वसूली एवं अन्य विधि कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।

6. संविदा पर पुनर्नियोजित कार्मिक की सेवायें अंसतोषजनक पाये जाने पर पुनर्नियुक्त कर्मचारी को 15 दिन का नोटिस दिया जाकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार उक्त कार्मिक द्वारा 2 माह का अग्रिम नोटिस दिया जाकर संविदा समाप्त कर सकेगा।
7. विभागीय आदेश कमांक 3592 दिनांक 29.10.10 के द्वारा जिला स्थापना समति के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं/पंचायतीराज विभाग के सेवा निवृत कर्मचारियों को संविदा पर पुनर्नियुक्त हेतु निर्देश जारी किये गये है।
8. पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति जिला स्थापना समिति (स्कीनिंग कमेटी) द्वारा हस्तान्तरित विभागो के लिये अपनाई गई प्रकिया ही अपनाई जावेगी। जिला स्थापना समिति संबंधित जिला परिषद क्षरा उक्त निर्देशों के अनुसार पुनर्नियुक्ति की जावें।
9. उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा पंचायतीराज संस्थाओं में उपलब्ध पदों पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन का निर्धारण लेखाधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जावेगा।

अभी जिला परिषदों को हस्तान्तरित विभागो में राज्य सरकार स्तर से भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध उपलब्ध रिक्त पदों पर सेवा निवृत कार्मिको की पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जावेगी।

<u>संलग्न – प्रारूत, समझोता पत्र व अन्डरटेकिंग</u>

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुंख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, विकास।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/कृषि विभाग/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
9. समस्त जिला कलेक्टर।
10. समस्त अति0/मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

शासन उप सचिव (प्रशा0 2)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/(से.नि.क.)/2011/ 154 दिनांक : 28/1/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. समस्त अधीक्षक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाये राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि परिपत्र को अपलोड करें।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

परिशिष्ठ–A
प्रारूप

विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय का नाम .....

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभाग/ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन स्वीकृत निम्नलिखित संवर्गों के रिक्त पद उपलब्ध है:–

क.स.	पद का नाम	उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या	पद की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

उक्त उपलब्ध रिक्त पदों कों सेवा निवृत कर्मचारियों से भरा जाने हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र निम्न शर्तों के अधीन आमन्त्रित किये जाते है:–

1. दिनांक 31.03.2011 तक सेवा निवृत होने वाले या पूर्व में सेवा निवृत हुए कर्मचारी जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं है, इन पदों पर आवेदन कर सकते है।
2. पुनर्नियोजित कर्मचारी को सेवा निवृति के समय प्राप्त होने वाले परिलाभाओं में से मूल पेन्शन व उस पर देय अन्तरित राहत की राशि घटाकर एकमुश्त भुगतान किया जायेगाा।
3. उक्त नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि अथवा पुनर्नियोजित कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु अथवा 2 वर्ष जो भी पहले हो, प्रभावशील होगी।
4. उक्त पुनर्नियोजन पद पदोन्नति/स्थानान्तरण अथवा सीधी भर्ती से भरे जाने की स्थिति में पुनर्नियोजन समाप्त समझा जावेगा।
5. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में बन्धक पत्र (Under Taking) व समझौता पत्र(Agreement) हस्ताक्षरित करना होगा। इनका प्रारूप सम्बन्धित कार्यालय में अवलोकन कर सकते है।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट www.rajpanchayat.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक .....तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यलय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
7. प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संवीक्षा करने के बाद पुनर्नियोजित किया जावेगा।
8. रिक्त पदों के विरूद्व पुनर्नियोजित होने वाले कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, उस पद के समान होना आवश्यक है,जिस पद पर पुनर्नियुक्ति दी जा रही है।
9. आवेदन पत्र सम्बन्धित .....कार्यालय में दिनांक ..... तक जमा करवाये जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ पेन्शन भुगतान आदेश(पी.पी.ओ.) की सत्यापित प्रति संलग्न की जावें।

सचिव जिला स्थापना समिति
जिला परिषद...../
जिला स्तरीय अधिकारी,
सम्बन्धित हस्तान्तरित विभाग

Anm - B

APPLICATION FORM FOR EMPLOYMENT ON CONTRACT BASIS IN RESPECVT OF RETIRED EMPLOYEES OF STATE GOVERNMENT

1. Name of the retired employee :

2. Father's name :

3. Date of birth :

4. Qualification :

5. Name of the parent department :

6. The post held before retirement :

7. Experience :

8. Basis pay + DA :

9. Payscale of the post held (at the time of retirement) :

UNDERTAKING TO BE SIGNED BY THE RETIRED EMPLOYEE

The undersigned is willing to accept the contracutal appointment, subsequent to his retirement, in State Government in pursuance of the agreed terms and conditions given in the Government Circular No. _____dated _____ for engagement of retired employees of the State Government. The undersigned hereby agrees and undertake to abide by the said terms/conditions of contracutal engagement.

Signature of the retired employee

Place:
Date:

Ann-B

CERTIFICATE OF HEAD OF THE DEPARTMENT

It is certified that the facts given above in the appplication form at Point No. 1 to 9 have been found to be true and are verified on the basis of record available with the department in respect of Shri/Smt. _____S/O/W/O _____ who had been working in the department on the post _____before retirement. It is also certified that during the period of serving in the department the services and behaviour of Shri/Smt. _____had been satisfactory and his/her candidature for consideration of contractual engagement in the Government is hereby recommended.

It is also certified that at the time of retirement, Shri/Smt. _____ was drawing a monthly pay and DA at Rs. _____(pay & DA components are to ve mentioned separately) completion of age of superannuation and that no departmental enquiry/criminal case is pending against Shri/Smt _____.

Signature of Head of the Deptt.

राजस्थान सरकार
सम्बन्धित कार्यालय का नाम .....

क्रमांकः दिनांकः

नियुक्ति आदेश

पंचायत राज विभाग के आदेश क्रमांक ..... दिनांक 28.10.210 के अनुसरण में श्री ....., सेवा निवृत (पदनाम) ....., को .... के पद पर कार्यग्रहण तिथि से पुनर्नियोजन किया जाता है। नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगीः–

1. उक्त पुनर्नियोजन हेतु परिलाभो की गणना आदेश क्रमाक 3454 दिनांक 28.10.10 अथवा 3592 दिनांक 29.10.10 के साथ संलग्न परिशिष्ठ–1 व 2 (यथास्थिति) के अनुसार की जावेगी। उक्त राशि पुनर्नियोजित कर्मचारी को एकमुश्त प्रतिमाह भुगतान की जावेगी।
2. उक्त पुनर्नियोजन कार्यग्रहण से 2 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) प्रभावशील रहेगी।
3 उक्त पुनर्नियोजत पद स्थानान्तरण/पदौन्नति/सीधी भर्ती आदि से भरे जाने की स्थिति में उक्त पुनर्नियोजन स्वतः समाप्त हो जावेगा।
4 पुनर्नियोजित कर्मचारी को प्रत्येक छमाही में 5 आकस्मिक अवकाश देय होगें।
5 उक्त कार्मिक से पुनर्नियोजन के दौरान राज्य सरकार/पंचायत राज संस्था को की गई आर्थिक हानि की वसूली की जावेगी तथा अन्य विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जावेगीं।
6 सलंग्न प्रारूप में पुनर्नियोजित कर्मचारी द्वारा अडर टैंकिंग व समझौता पत्र निष्पादित करना होगा।

सचिव जिला स्थापना समिति
जिला परिषद...../
जिला स्तरीय अधिकारी,
सम्बन्धित हस्तान्तरित विभाग

4ググ- D

AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE RETIRED EMPLOYEES

In pursuance of guidelines for engaging retired employees on contract, issued by Department of Personnel vide their Circulat No. _______________ dated__________the following agreement is entered into between the Government of Rajasthan which expression shall include the authority of the Government competent to make contractual agreement on behalf of the Governor (hereinafter called as first party) and Shri _____________________ S/O Shri ______________ resident of _________________________(hereinafter called as second party)

Whereby it is agreed as follows:

1. The contractual engagement shall not confer any rights on the second party and the first party can terminate it at any time. The second party shall not be entitled to seek recourse to any administrative, quasi-judicial, or judicial relief for the purpose.

2. The past service rendered by the second party if any under the parent department shall have no relevance or be reckoned for any continuity of service benefits.

3. Contracutal engagement is made for a period of six months or till the second party attains 65 years of age whichever is earlier.

4. The contract period of engagement would be considered for a renewal provided during the period of contracutal engagement, the work and conduct of Shri/Smt. _______________ continues to be satisfactory. In anay case the currency of contractual engagement shall not exceed beyond 65 years of age.

5. The contracutal consolidated emoluments have been fixed at Rs. __________ per month subject to the condition that the total of consolidated salalry plus pension and Dearness Relief thereon does snot exceed the pre-retirement emoluments i.e. Pay + DA last drawn at the time of initial appointment on contract bssis. The remuneration to the secondn party shall be dependent upon satifactory discharge of the assigned work. In case of any shortfall, the first party shall be authorised to determine the remuneration accordingly.

6. The contractual engagement shall be liable to be terminated by giving prior notice of 15 days.

7. The second party will be entitled to avail 10 days casual leave in a calender year but during first months will be entitled to avail 5 days C.L. only. No other leave of any kind will be admissible.

8. For each day's absence 1/30the of monthly emplumehts ahll be deducted.

9. The work place within the jurisdication would be decided on behalf of the first party by the officer nominated by the Appointing Authority. The second party may also be directed to undertake the work anywhere inside or outside Rajasthan.

सर्विस फर्म

25 सेट

Ann. D.

10. The second party has to follow all the rules and regulations, directions and orders which are already in force and which may be issued during the contract period.

11. Any dispute between the parties may be referred for arbitration to such authority as may be specified by the Government.

Signaature of Second party with date

Signature on behalf of first party.

Signature of Head of the Department Office

Witnesses:

1.

2.

Witnesses

1.

2.